डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय)

विज्ञापन संख्या 05/2021 (संशोधित)

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 05/2021 के क्रम में कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संशोधित पदों का विवरण निम्नानुसार है। उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 07.02.2022 से बढ़ाकर कर **07.03.2022 समय 23:59** तक की जाती है।

क्र.सं.	पदनाम एवं रनिंग पे बैण्ड (ग्रेड पे)	कुल रिक्तियाँ	------ प्रवर्ग रिक्तियों का संख्यात्मक विवरण ------												
			अनारक्षित			पिछड़ा वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			ई. डब्लू. एस.
			सामान्य	महिला	कुल अनारक्षित	सामान्य	महिला	कुल पिछड़ा वर्ग	सामान्य	महिला	कुल अनु. जाति	सामान्य	महिला	कुल अनु. जनजाति	ई.डब्लू.एस. (सामान्य)
1.	कनिष्ठ सहायक (एल–5)	**15**	06 (Ex-Ser-01)	02	**08**	02 (NGE -01)	01 (Widow)	**03**	01	01	**02**	01	--	**01**	**01**
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एल–1)	**15**	06	02 (Ex-Ser-01)	**08**	02 (NGE -01)	01 (Widow)	**03**	01	01 (Ex-Ser-01)	**02**	01	--	**01**	**01**

सामान्य वर्ग में सामान्य पुरुष एवं सामान्य महिला दोनों शामिल होंगे।

नोट :–

(1) अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हों।

(2) उपरोक्त विज्ञापित पदों में विशेष योग्य जन आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के तहत देय होगा।
(3) पदों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
(4) चयन को अंतिम रूप देते समय प्रभावी आरक्षण नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

पात्रता एवं भर्ती प्रक्रिया संबंधी विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	**JUNIOR ASSISTANT**

Pay Level- 05 (7th CPC)

1. **Essential Qualifications**

The minimum qualifications for this post will be Senior Secondary (10+2) examination passed from any Board/Institution recognized by Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer/ Government of Rajasthan.

2. **Mode of Selection**

(i) Mode of selection will be on the basis of written test.

(ii) In case of equal marks in the written test the one who has secured higher percentage of marks in Senior Secondary (10+2) examination will be considered higher in merit. In case of equal marks and equal percentage in the Senior Secondary (10+2) examination the one born earlier will be considered higher in merit.

(iii) The written test will be held as under:

PAPERS	DURATION	MARKS
Paper-I (Objective Type Questions)		
General Knowledge, Everyday Science and Mathematics.	3 Hours	300 marks
Paper-II (Objective Type Questions)		
General Hindi & English.	3 Hours	300 marks

Note:-

(i) The incumbent shall have to pass Computer typing test before confirmation and annual grade increment.

(ii) The standard of papers will be that of the Senior Secondary examination of the Board of Secondary Education Rajasthan.

Age limit: Not exceeding 40 Yrs. (45 years in case of SC/ ST/ differently-abled category/ women candidates), and age will be calculated as on 1st July of the year of advertisement.

2.	**CHATURTH SHRENI KARAMCHARI**

Pay Level- 01 (7th CPC)

1. Essential Qualification

For the post of Chaturth Shreni Karamchari the candidate should have passed Secondary examination or equivalent from a Board recognised by Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer/ Government of Rajasthan.

2. Mode of Selection

(i) Mode of selection will be on the basis of written test.

(ii) Written test (secondary standard) of the following papers will be held:

Papers :-

Hindi (50 Questions)	150 marks
General Knowledge (50 Questions)	150 marks
Mathematics (50 Questions)	150 marks

Note :-

1. In case of equal marks in the written test the one who has secured higher percentage of marks in 10th Standard examination will be considered higher in merit. In case of equal marks and equal percentage in the 10th Standard examination the one born earlier will be considered higher in merit.
2. The question paper will be of MCQ type.

Age limit: Not exceeding 40 Yrs. (45 years in case of SC/ ST/ differently-abled category/ women candidates), and age will be calculated as on 1st July of the year of advertisement.

आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश :

1. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।

2. *ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 07.03.2022 समय 23:59 बजे तक है। कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवेदक, आवेदन पत्रों की मुद्रित* ***(printed)*** *हार्डकॉपी, समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों, यथा– शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनने के पश्चात् सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।*

3. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा।

4. आवेदन शुल्क :–

आवेदक को निम्नानुसार आवेदन शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा।

क्र.सं.	प्रवर्ग	आवेदन शुल्क (रुपये)
1.	(i) सामान्य संवर्ग (ii) क्रीमीलेयर श्रेणी के बी.सी./ एम.बी.सी अभ्यर्थी	1000/–
2.	नॉन–क्रीमीलेयर श्रेणी के बी.सी./एम.बी.सी. अभ्यर्थी/ई.डब्लू.एस.	500/–
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/ दिव्यांग) / राजस्थान के एस.सी./ एस.टी. अभ्यर्थी	100/–

5. आवेदक की न्यूनतम आयु, दिनांक **23.12.2021 को 18 वर्ष** पूर्ण होनी चाहिए।

6. उक्त पदों पर भर्ती के लिए छँटनी (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

7. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

8. किसी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र–व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा

विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें।

9. उक्त पदों हेतु नियुक्तियाँ परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में होगी एवं इस अवधि में उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप समेकित वेतन देय होगा। विश्वविद्यालय नियमानुसार वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ देय होगा।

10. उक्त पदों हेतु वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में देय मासिक समेकित वेतन निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पद का नाम	परिवीक्षाकाल में देय नियत पारिश्रमिक (रुपये)
1.	कनिष्ठ सहायक (एल–5)	14,600 / –
2.	सहायक कर्मचारी (एल–1)	12,400 / –

11. सफलतापूर्वक परिवीक्षा (प्रशिक्षु) अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक को नियमानुसार वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन देय होगा। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु उक्त परिवीक्षाधीन (प्रशिक्षु) अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

12. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। नॉन क्रीमीलेयर संबंधी जाति प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

13. उपरोक्त पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार रहेगीः–

क्र.स.	विवरण	ऊपरी आयु सीमा में देय छूट	
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा/अति पिछडा वर्ग के राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी पुरूष अभ्यर्थी	05 वर्ष	
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछडा/अति पिछड़ा वर्ग की राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी	10 वर्ष	
3.	सामान्य वर्ग की महिला आवेदक	05 वर्ष	
4.	निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थी	सामान्य	10 वर्ष
		पिछड़ा वर्ग	13 वर्ष

		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15 वर्ष
5.	विधवा एवं परित्यक्ता अभ्यर्थी	कोई सीमा नहीं	

नोटः– (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) उक्त प्रावधान में दिए गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से संबंधी प्रावधानों में तत्संबंधी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए हों, तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

(3) ई.डब्लू.एस. श्रेणी में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।

14. **अधिकतम (ऊपरी) आयु सीमा उपरोक्त वर्णित पदों हेतु पात्रता एवं भर्ती प्रकिया संबंधी विवरण में अंकित है।**
15. विश्वविद्यालय के नियमानुसार, जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता सम्बन्धी नियम एवं राज्य सरकार में कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में प्रवर्तित अन्य नियम लागू होंगे।
16. राजस्थान सरकार के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रभावी होंगे।
17. अंशदायी पेन्शन योजना, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय में उक्त नियुक्तियों हेतु लागू रहेगी।
18. विश्वविद्यालय / राज्य सरकार के समय–समय पर प्रचलित नियम व प्रावधान उक्त नियुक्तियों पर लागू होंगे।
19. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
20. जिन पदों में अनुभव की अनिवार्यता है, वहां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का अनुभव मान्य होगा, जिनका चयन विधिवत रूप से गठित समिति द्वारा किया गया हो।

कुलसचिव